न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या : 02/2015 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. तोफली पत्नि ईश्वर
2. लक्ष्मण पुत्र बालूराम
3. शांतिदेवी पत्नि प्यारेलाल
4. कमल पत्नि प्रभातीलाल

समस्त जाति बैरवा निवासी श्यालावास कलां तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. गुलाबचन्द पुत्र किशनलाल
2. रमेश चंद पुत्र किशनलाल
3. रामजीलाल पुत्र किशनलाल
4. बिमला पुत्री किशनलाल

समस्त जाति बैरवा निवासी अम्बेडकर की मूर्ति के सामने कुटी (बांदीकुई) तहसील बसवा जिला दौसा।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवां
6. आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स विरूद्ध आदेश आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 24.04.1976 जिसके तहत कम्पूरी देवी पत्नि किशनलाल जाति बैरवा निवासी कुटी तहसील बसवा वाके ग्राम श्यालावास कलां में स्थित चारागाह योग्य भूमि खसरा नम्बर 200 मे से 05 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है।

उपस्थिति : श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री सिद्धार्थ बुन्देल अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 लगा0 4 उपस्थित।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

—:निर्णय:—

दिनांक: 13.09.2019

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) के तथ्य इस प्रकार से है कि आवंटन रूल्स की अवहेलना करके धोखे से आवंटन योग्य भूमि न होने के बावजूद भी आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा ने बिना उद्घोषणा जारी किये बिना व बिना उद्घोषणा की तामील कराये व बिना आवेदन किये दिनांक 24.04.1976 को कम्पूरी देवी पत्नि किशनलाल जाति बैरवा निवासी कुटी को वाके ग्राम श्यालावास कलां की चराई योग्य भूमि खसरा नम्बर 200 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया। उक्त कम्पूरी के देहान्त होने पर कम्पूरी के वारिस अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 4 को पक्षकार बनाया गया है। उक्त कम्पूरी देवी को आवंटित की गई चरागाह योग्य भूमि खसरा नं. 200 में से 5 बीघा ग्राम श्यालावास कला तहसील बसवा आवंटन दिनांक 24.04.1976 को निरस्त करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन रूल्स पेश किया गया है।

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र पेश होने पर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 लगा0 4 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। तत्पश्चातं अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र एवं लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि कम्पूरी देवी ने अपना प्रार्थना पत्र खसरा नं. 201/1 ग्राम सहजपुरा में 5 बीघा भूमि आवंटन करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना पत्र कब, कहा एवं किसे पेश हुआ यह नहीं पता है। ग्राम श्यालावास कलां की भूमि खसरा नं. 200 बीघा में से आवंटन हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। खसरा नम्बर 200 में से दिनांक 24.4.76 को 5 बीघा भूमि का आवंटन करना कतई गलत एवं आवंटन रूल्स की अवहेलना करना बखूबी सिद्ध है। आवंटित की गई भूमि खसरा नं. 200 वरवक्त आवंटन योग्य कृषि भूमि नहीं थी बल्कि चराई योग्य भूमि थी जो कि जमाबंदी सम्वत 2031 से 34 में दर्ज है। कम्पूरी देवी श्यालावास कलां की रहने वाली नहीं बल्कि कुटी की रहने वाली थी। कम्पूरी देवी ने उक्त भूमि पर कब्जा भी प्राप्त नहीं किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर कम्पूरी देवी भूमिहीन नही है एवं उसका लड़का रेल्वे में नौकरी करता है। कानूनन आवंटन आवंटन अधिकारी ही करता है, आवंटन सलाहकार समिति तो मात्र सिफारिश करती है। यदि आवेंदन पत्र के पीछ जो दिनांक 24.4.76 को आदेश किया गया है उस आदेश को देखते हैं तो आवंटन कमेटी ने ही आवंटन कर दिया जो कानूनन गलत है। उक्त आवंटन आवंटन रूल्स की अवहेलना करके बिना उद्घोषणा जारी किये बिना व बिना उद्घोषणा की तामील करवाये एवं तागील की रिपोर्ट लिये बिना व बिना कोई जांच किये किया गया है। उक्त भूमि कृषि योग्य भूमि नहीं है उक्त भूमि में होकर मौके पर रास्ता बना हुआ है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण का कमरा व रहवास बना हुआ है, इस बात का प्रमाण यह है कि उक्त भूमि की मौका रिपोर्ट दिनांक 31.5.2018 में पटवारी हल्का श्यालावास कलां ने स्पष्ट बताया है कि उक्त आवंटन खसरा नम्बर 200 रकबा 5 बीघा के वर्तमान खसरा नम्बर 186, 193, 296 बने है जिन पर मौके पर खसरा नम्बर 186 रकबा 0.30 है0 रास्ते के उपयोग में आ रहा होना तथा खसरा नम्बर 193 में पुख्ता प्रार्थी का कमरा बना होना एवं खसरा नम्बर 196 को खाली बताया है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 186 सार्वजनिक उपयोग रास्ते की भूमि है तथा उक्त भूमि के किसी भी भाग पर अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं है। कानूनन सार्वजनिक उपयोग की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। उक्त भूमि में बना हुआ रास्ता प्रार्थीगण व अन्य ग्रामवासियों के आवागमन के काम में आता है। मिलान क्षेत्रफल की नकल प्रस्तुत की गयी है जिससे वर्तमान खसरा नम्बर 186, 193, 196 कम्पूरी को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 200 रकबा 5 बीघा से बने हैं। अप्रार्थीगण ने दिनांक 29.11.2014 एवं 6.5.2015 को उक्त भूमि नपवाकर कब्जा लेने की कोशिश की जिस पर दिनांक 6.5.2015 व 29.11.2014 को मौका परचा बनाया गया है जिन मौका परचाओं से भी स्पष्ट सिद्ध है कि उक्त भूमि के एक भी इंच भू भाग पर अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं है और ना ही रहा है। अप्रार्थीगण या कम्पूरी ने उक्त भूमि पर आवंटन से लेकर आज तक कभी भी काश्त नहीं की है, उनका कभी भी कब्जा नहीं रहा है और न ही आज कब्जा है। जो मौके परचे की रिपोर्टों से व अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान करने के प्रार्थना पत्रों से बखूबी सिद्ध है। यदि कोई नियम विरूद्ध आवंटन हो गया है और प्राईमाफसि नियम विरूद्ध दिखाई दे तो ऐसे आवंटन को खातेदारी अधिकार मिलने के बाद ही निरस्त किया जा सकता है। अप्रार्थीगण ने स्वयं ने अपनी लिखित बहस में यह माना है कि आवंटन के समय भूमि कृषि योग्य नहीं होने पर भी एवं चराई योग्य भूमि का भी आवंटन निरस्त किया जा सकता है। अप्रार्थीगण ने अपनी लिखित बहस कतई

अति० जिला कलेक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गलत कानून के विपरीत तरीके से प्रस्तुत की है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरे इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स स्वीकार फरमाकर चरागाह योग्य भूमि खसरा नं. 200 में से 5 बीघा ग्राम श्यालावास कला तहसील बसवा आवंटन दिनांक 24.04.1976 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 लगा0 4 द्वारा बहस के दौरान लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण की माता स्व0 श्रीमति कम्पूरी देवी पत्नि स्व0 श्री किशनलाल बैरवा(जाटव) कुटी, बांदीकुई तहसील बसवा तत्समय जयपुर को दिनांक 16.8.1976 को उप जिला अधिकारी दौसा के द्वारा खसरा नम्बर 200/1/1 मिन भूमि रकबा 05 बीघा किस्म बारानी दोयम कृषि का भूमिहीन एवं शोषित वर्ग अनुसूचित जाति की महिला को स्वयं व परिवार के जीविकोपार्जन के लिये भूमि का आवंटन कीमतन दिनांक 24.4.1976 को किया गया और उसके बाद राजस्व अभिलेख जमाबंदी में गैर खातेदार नामान्तरकरण संख्या 253 दिनांक 29.9.1976 से अंकन दर्ज किया गया और उसके बाद खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये तथा श्रीमति कम्पूरी देवी की मृत्यु के बाद उसके विधिक वारिसान अप्रार्थीगण सं0 1 से 4 संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज काश्त है, जिसकी पुष्टि वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत 2069–2072 के खाता संख्या 168/163 के अवलोकन से स्पष्ट है। प्रार्थीगण ने दिनांक 24.4.1976 को किये गये आवंटन आदेश के विरूद्ध करीबन 40 वर्षों बाद उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने के लिये निराधार आवेदन प्रस्तुत किया है जिसके साथ धारा 05 मयाद अधिनियम का आवेदन पत्र संलग्न है। आवेदन में 40 वर्षों के विलम्ब को माफ किये जाने के लिये कोई भी समुचित संतोषप्रद कारण माननीय न्यायालय के समक्ष अपने आवेदन व बहस में नहीं बताया है जिससे प्रार्थीगण का आवेदन मयाद बाहर आधारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है (आर.बी.जे.–2001 पेज सं0 125 एवं 447 एवं 593 तथा आर.बी.जे.–2016 पेज सं0 418) आवेदन में प्रार्थीगण ने आवंटन को निरस्त करने के जो आधार बताये है उनमें विशेष रूप से कथन किया है कि आवंटन नियमों की अवहेलना करके आवंटन किया गया है जिसके बाबत आवंटन से पूर्व कोई जांच नहीं की गई, आवंटन के समय आवंटित की गई भूमि आवंटन योग्य नहीं थी। लेकिन प्रार्थीगण ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किन नियमों का उल्लंघन किया गया है जबकि आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत सक्षम अधिकारी उप जिला अधिकारी ने विधिवत रूप से सम्बन्धित हल्का पटवारी, तहसीलदार आदि से आवंटन योग्य भूमि की जांच रिपोर्ट मंगवाकर आवंटन किया है जिसे 40 वर्षों तक किसी ने भी चुनौती नहीं दी है और अलोटी को खातेदारी अधिकार कई वर्षो पूर्व ही प्राप्त हो चुके है। ऐसी स्थिति में तकनीकी आधार पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है (आर.बी.जे.–1997 पेज सं0 267, आर.बी.जे.–1997 पेज सं0 780, आर.बी.जे.–2005 पेज सं. 113, आर.बी.जे.–2011 पेज सं0 524, 685 एवं आर.बी.जे.–2016 पेज सं. 418) आवंटन के समय भूमि कृषि योग्य नहीं होने पर चराई योग्य भूमि को भी राजस्थान सरकार के द्वारा जारी अधिसूचनाओं के तहत प्रदत्त अधिकारों की प्राप्ति के बाद ही उक्त आवंटन किया गया है। उक्त शिकायतकर्ता ने उस वक्त आवंटन हेतु कोई आवेदन नहीं किया और ना ही व्यथित पक्षकार है। क्योंकि उन्होंने 40 वर्षों तक उक्त आवंटन को चुनौती नहीं दी जबकि अलोट की गई भूमि पर सम्पूर्ण रूप से खातेदारी अधिकार अप्रार्थीगण को प्राप्त हो चुके हैं। जिससे भी प्रार्थीगण का आवेदन निरस्त किया जाना चाहिये जैसा कि नजीर आर.बी.जे.–1995 पेज सं. 08, आर.बी.जे.–2005 पेज सं. 386 एवं आर.बी.जे.–2007 पेज सं. 687 एवं 787 पर प्रतिपादित किया है। प्रार्थीगण ने अपने आवेदन में यह कथन किया कि अलोटी कम्पूरी देवी श्यालावास कला की नहीं करने वाली होकर कुटी की रहने वाली थी जिससे आवंटन निरस्त किया जाये। जबकि आवंटन नियम 1970 में स्पष्ट रूप

अति० जिला कलेक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से प्रावधान है कि राजस्थान राज्य के मूल निवासी को ही आवंटन का पात्र माना जावेगा यदि वह भूमिहीन है। प्रकरण में श्यालावास कला ग्राम कुटी गांव की सीमा से लगकर है। अन्य जो कथन आधार के रूप में आरोपित किये हैं वह तकनीकी है जिसके आधार पर आवंटन निरस्त नहीं किया जाना चाहिये, जैसा कि नजीर आर.बी.जे.–2005 पेज सं. 113 पर प्रतिपादित किया है। प्रार्थीगण ने आवंटन के रोज भूमि पर कब्जा होने का कथन किया है लेकिन विधि का सर्वमान्य नियम है कि आवंटन योग्य भूमि पर कोई अतिचारी है तो भी उक्त भूमि आवंटन योग्य मानी जावेगी और इस आधार पर आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता, जैसा कि नजीर आर.बी.जे.–2009 पेज सं. 789 पर प्रतिपादित किया है। आवंटी कम्पूरी देवी को आवंटन के समय से ही खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं एवं आवंटी की मृत्यु के बाद उसके वारिसान अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। अप्रार्थीगण खातेदार लगातार उक्त भूमि पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आवंटन भूमि आवंटन के समय से ही बारानी दोयम भूमि है जो कि आवंटन रिकार्ड से साफ जाहिर होता है एवं संवत 2035– 2038 की जमाबंदी से भी उक्त भूमि का बारानी दोयम होना साबित होता है। प्रार्थीगण ने अपने शिकायत प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई कथन नहीं किया जिससे यह जाहिर होता है कि अलोटी ने मिथ्या कथनों से अथवा तथ्यों को छुपाकर अथवा धोखा देकर आवंटन करवाया हो। ऐसी स्थिति में एक गरीब शोषित वर्ग की महिला जो अनुसूचित जाति की है, को अपने परिवार के जीवनयापन के लिये 05 बीघा भूमि का आवंटन किया गया उसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आवंटन के बाद गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये और उसके बाद खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो गये, तब तक आवंटन निरस्ती के लिये कोई चुनौती नहीं दी गई और खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है जैसा कि नजीर आर.बी.जे.–2016 पेज सं. 102 एवं आर.बी.जे.–2009 पेज सं. 112 तथा आर.बी.जे.–2008 पेज सं. 735 तथा आर.बी.जे.–2010 पेज सं. 157 पर प्रतिपादित किया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भली प्रकार से अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि आवंटी को खातेदारी अधिकार मिल चुके है। श्रीमति कम्पूरी देवी की मृत्यु के बाद उसके विधिक वारिसान अप्रार्थीगण सं. 1 लगा0 4 संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है, जिसकी पुष्टि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत 2069–2072 के खाता संख्या 168/163 के अवलोकन से साबित है। उक्त आवंटन आदेश के विरूद्ध करीबन 40 वर्षो के बाद आवंटन निरस्त किये जाने के लिये निराधार आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे.–1995 पेज सं. 08, आर.बी.जे.–2005 पेज सं. 386 एवं आर.बी.जे.–2007 पेज सं. 687 एवं 787 इस पर चस्पा नही होते है तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे.–2016 पेज सं. 102 एवं आर.बी.जे.–2009 पेज सं. 112 तथा आर.बी.जे.–2008 पेज सं. 735 तथा आर.बी.जे.–2010 पेज सं. 157 इस पर चस्पा होती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 13.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official